।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक 2192 /यात्रा व्यवस्था/निविदा–यात्रा व्यवस्था/2018–19 दिनांक 16, फरवरी 2019

निविदा

जिलाधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े–खच्चर संचालन हेतु प्रीपेड व्यवस्था वर्ष 2019 हेतु ऐसे अनुभवी कम्पनियों/फर्मों से जिन्हें सिक्योरिटी योजना के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में प्रीपेड बिलिंग सिस्टम जिसमें प्रतिदिन 2500 से अधिक घोड़े–खच्चर के संचालन की व्यवस्था करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, **से दिनांक 05 मार्च 2019 (मंगलवार) को अपराह्न 1.00 बजे तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक से मुख्य विकास अधिकारी रूद्रप्रयाग, विकास भवन रूद्रप्रयाग के पते पर आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी।** निविदा लिफाफे पर दायीं ओर ऊपर की तरफ **"प्रीपेड काउण्टर हेतु निविदा"** अंकित करना आवश्यक है। **प्रीपेड व्यवस्था की निविदा हेतु नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार हैं–**

1. अनुभव प्रमाण पत्र। (मूल प्रति निविदा खोलते समय समिति को दिखाना अनिवार्य है)
2. जमानत राशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) जो बैंक एफ0डी0 या एन0एस0सी0 जो जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पदनाम बंधक कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
1. निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्आम्प पेपर व रू0 1.00 का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयकर पैन कार्ड एवं 03 वर्ष की अद्यतन आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
5. G.S.T.पंजीकरण प्रमाण पत्र।
6. प्रीपेड व्यवस्था हेतु निम्न निर्धारित सीानों पर निम्न प्रकार निर्धारित संख्या में काउण्टर सीापित करना अनिवार्य होंगेः–**(a) सोनप्रयाग–02 काउण्टर (b) गौरीकुण्ड–02 काउण्टर (c) लिनचोली–02 काउण्टर (d) केदारनाथ बेस कैम्प–02 काउण्टर (e) भीमबली–02 काउण्टर**
7. श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर प्रीपेड व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित घोड़े–खच्चरों की **05 सीानों पर Location track** करने हेतु **Standard Specification** वाले **CE,FCC Certified Long Range UHF Reader and External UHF Antenna(**निर्धारित **Operating Frequency** वाले **)** तथा संचालित होने वाले घोड़े–खच्चरों हेतु उक्त **Long Range UHF Reader and External UHF Antenna** के **Specification** के अनुकूल उच्चगुणवत्ता के न्यूनतम 5000 **UHF Tags** उपलब्ध कराने होंगे।
8. घोड़े–खच्च्रों का Health Record Digital रूप में उपलब्ध कराना होगा तथा घोड़ा–खच्चर स्वामियों को **MIFARE-RFID Card** प्रिन्टेड रूप में प्रदान करना पड़ेगा।
9. चयनित फर्म द्वारा घोड़े/खच्चर स्वामियों का **Database** तैयार कर घोड़े/खच्चरों की **UHF RFID Tag** लगाना आवश्यक होगा।

÷ क्रमशः 02 ÷

10. फर्म द्वारा उक्त घोड़े–खच्चर प्रीपेड व्यवस्था तथा **Location tracking** हेतु तैयार किया जाना वाला सॉफ्वेयर भी निविदा में सम्मिलित होगा तथा प्रत्येक दिन की यात्री/प्रयुक्त घोड़े का **Tage number**/ गतंव्य स्थान/पड़ाव पार करने का समय इत्यादि सम्बन्धी जानकारी की **e-report** जिला कार्यालय की ई0मेल आई0डी0 पर अगले दिन सुबह तक उपलब्ध करानी होगी।

11. घोड़े/खच्चरों के **RFID Tracking** से प्राप्त शुल्क हेतु जनपद स्तर पर **Real Data collection** सुविधा देनी होगी।

12. घोड़े–खच्चरों का संचालन रोटेशन के आधार पर व शांन्तिपूर्वक सम्पूर्ण व्यवस्था /संचालन स्वयं कम्पनी/फर्म के द्वारा किया जायेगा।

13. प्रीपेड व्यवस्था के लिए शेल्टर एवं काउण्टर जिला प्रशासन द्वारा दिये जायेंगे।

14. प्रीपेड काउण्टरों का संचालन प्रातः 04:00 बजे से लेकर, सायं 05:00 बजे तक नियमित रूप से किया जायेगा।

15. चयनित कम्पनी/फर्म द्वारा प्रीपेड काउण्टरों के बाहर प्रशासन द्वारा घोड़े–खच्चरों हेतु निर्धारित दरें (rates) बड़े **flexi boards** स्थापित कर प्रदर्शित करने होंगें। साथ ही काउण्टरों पर यात्रियों की जानकारी हेतु " **प्रीपेड काउण्टर (पड़ाव का नाम)**" अंकित करते हुए **signages/flexi** स्थापित किये जायेंगें।

16. प्रीपेड काउण्टरों के नियमित संचालन हेतु सम्बन्धित फर्म को नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत जनरेटर की व्यवस्था प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर पर अनिवार्य होगी, जिसके ईंधन की व्यवस्था एवं संचालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

17. प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर के प्रत्येक पटल पर संचालन हेतु 02 कार्मिकों की व्यवस्था नियमित रूप से करनी अनिवार्य होगी।

18. प्रत्येक प्रीपेड स्थल पर 01 साफ्टवेयर इंजीनियर की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म को अनिवार्य रूप से करनी होगी।

19. प्रीपेड व्यवस्था में प्रयुक्त सामग्री जैसे–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, थर्मल प्रिन्टर, यात्रा पर्ची, कलर कार्टेज आदि एवं मानव संसाधन भी निविदा के साथ सम्मिलित किये जायें। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

20. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को होगा।

21. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र रूद्रप्रयाग होगा।

22. फर्म को भुगतान योजना के सफल संचालन करने के पश्चात किश्तों में अथवा एकमुस्त किया जायेगा।

23. सम्बन्धित चयनित फर्म को देय भुगतान राशि पर नियमानुसार GST की कटौती जमा करनी अनिवार्य होगी।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।